

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 24 वीं बैठक का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 24 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10.06.2020 को बोर्ड मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौरादेवी पर्यावरण भवन, में अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। बैठक में निम्न सदस्य/सदस्यों के प्रतिनिधि उपस्थित थे :-

1. श्री आनन्द वर्द्धन, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2. श्रीमती सौजन्या, सचिव वित्त एवं निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उत्तराखण्ड।
3. श्री एस0 पी0 सुबुद्धि, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
4. श्री विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
5. श्री के0 के0 रस्तोगी, महाप्रबंधक, गंगा, पेयजल निगम, हरिद्वार।
6. कु0 अंकिता जोशी, सहायक नगर आयुक्त, कोटद्वार।
7. श्री लोकेश शर्मा, निदेशक, सिडकुल।
8. श्री सुनील परासर, अधीक्षण अभियंता, एम0डी0डी0ए0, देहरादून।

विडियो कांफ्रेंसिंग एवं दूरभाष के माध्यम से उपस्थित सदस्य

1. प्रो0 बी0 आर0 गुर्जर, आई0आई0टी0, रुड़की।
2. श्री0 प्रकाश आर्य, मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, काशीपुर।
3. श्री0 अशोक बंसल, अध्यक्ष, कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, उत्तराखण्ड।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बोर्ड अध्यक्ष एवं सभी बोर्ड सदस्यों का स्वागत करते हुये अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक में प्रस्तावित कार्य सूची के बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मत से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

<p>कार्य सूची सं0 24.1</p>	<p>बोर्ड की 23वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन एवं उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से बोर्ड सदस्यों को अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>बोर्ड के 23वीं बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दुओं पर सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुपालन की स्थिति से बोर्ड के सदस्यों को बैठक में अवगत कराया गया। उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर निर्देश के साथ बोर्ड की 18वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन दिया गया।</p> <p>बोर्ड में निर्णय लिया गया कि आश्रम/धर्मशालाओं से सहमति प्राप्त करने हेतु स्थापनार्थ सहमति/संचालनार्थ सहमति शुल्क 31 मार्च, 2023 तक नहीं लिया जायेगा। अध्यक्ष बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि समस्त क्षेत्रीय अधिकारी विशेष अभियान चलाकर 31.07.2020 तक समस्त आश्रम/धर्मशालाओं से स्थापनार्थ सहमति/संचालनार्थ सहमति हेतु आवेदन करवायें।</p> <p>सदस्य सचिव के अनुरोध के क्रम में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सहमति एवं प्राधिकार</p>
----------------------------	--	---

		<p>शुल्कों का नये रूप से निर्धारण किया जाय जो कि पॉल्यूशन इन्डेक्स पर आधारित हो। Non industrial श्रेणी के सहमति एवं प्राधिकार शुल्क का निर्धारण का आधार पृथक रूप से किया जाय।</p> <p>23वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया गया बोर्ड की संरचना को भी उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया जाय।</p>
कार्य सूची सं० 24.2	उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वर्ष 2020-21 आय-व्यय का विवरण निम्नानुसार है	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वर्ष 2020-2021 की वार्षिक बजट बोर्ड के सदस्यों के समक्ष बैठक में प्रस्तुत किया गया। बोर्ड के सदस्यों द्वारा उक्त वार्षिक बजट का अनुमोदन किया गया।
कार्य सूची सं० 24.3	कार्य सूची सं० 24.3 उत्तराखण्ड राज्य में राज्य वायु गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किये जाने तथा कार्यक्रम में अनुसार उत्तराखण्ड में नये वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्रों की स्थापना के सम्बन्ध में	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों के समक्ष राज्य में "राज्य वायु गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम" संचालित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा निर्देश दिये गये कि कार्यक्रम में नगर निगम, कोटद्वार को भी सम्मिलित किया जाय तथा यह कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से लागू किया जाय।
कार्य सूची सं० 24.4	उत्तराखण्ड राज्य में राज्य जल गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम की स्थापना तथा इसके अन्तर्गत नये जल गुणवत्ता केन्द्रों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	<p>राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों के समक्ष राज्य में "राज्य जल गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम" संचालित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा यह कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से लागू किया जाय।</p> <p>यह भी निर्देश दिये गये कि राज्य के प्रयोगशाला में नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत निर्धारित सामान्य परिचारकों (35) के विश्लेषण की व्यवस्था 31.12.2020 तक पूर्ण कर लिया जाय तथा प्रयोगशाला के स्थापना की कार्यवाही त्वरित गति से किया जाय।</p>
कार्य सूची सं० 24.5	उत्तराखण्ड राज्य हेतु ईट भट्टों के Siting criteria के निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	उत्तराखण्ड राज्य हेतु ईट भट्टों के Siting Criteria के निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव बोर्ड के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया समयक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि बोर्ड द्वारा ईट भट्टों हेतु तैयार की गयी Siting Criteria में आवश्यक संसोधन करते हुए अध्यक्ष बोर्ड के अनुमोदन के उपरान्त खनन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाय कि मा० एन० जी० टी० के निर्देश के क्रम में


		खनन विभाग उक्त प्रस्ताव का परीक्षण कर राज्य में ईट भट्टों के स्थापनार्थ हेतु Siting Criteria निर्धारण किये जाने हेतु कार्यवाही करे।
कार्य सूची सं0 24.6	उत्तराखण्ड राज्य हेतु ईंधन नीति प्रख्यापित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	उत्तराखण्ड राज्य हेतु ईंधन नीति प्रख्यापित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव बोर्ड के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव पर बोर्ड के सदस्यों द्वारा निम्न संशोधन के साथ अनुमोदन दिया गया। 1. पेट कोक एवं फर्नेश ऑयल से अन्य अनुमोदित ईंधन में परिवर्तन किये जाने की अवधि को वर्ष 31.03.2024 निर्धारित किया जाय। 2. कोयला, लकड़ी, पिरूल(Pine Needle) एवं अन्य कृषि आधारित ईंधन सामग्री (Agriculture Waste) को अनुमोदित ईंधन में शामिल किया जाये।
कार्य सूची सं0 24.7	उत्तराखण्ड राज्य में अवैध खनन पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलन निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में ।	उत्तराखण्ड राज्य हेतु अवैध खनन पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलन निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव बोर्ड के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि : अवैध खनन पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित निर्णय लिये जाने से पूर्व खनन विभाग, उत्तराखण्ड शासन का अभिमत/अनापत्ति प्राप्त कर लिया जाय एवं उसके उपरान्त अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही किया जाय।
कार्य सूची सं0 24.8	राज्य बोर्ड हेतु गैर शासकीय नामित सदस्यों एवं समय समय पर विभिन्न समिति में आमंत्रित विशेषज्ञ सदस्यों के यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर बोर्ड के सदस्यों द्वारा अनुमोदन दिया गया।
कार्य सूची सं0 24.9	राज्य हेतु जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अन्तर्गत जिलावार इन्वेट्री बनाये जाने हेतु वित्तीय अनुमोदन के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श के उपरान्त बोर्ड के सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि यह कार्य बोर्ड के स्तर से ही 01 एस0आर0एफ0 एवं 01 जे0आर0एफ0 को नियमानुसार 01 वर्ष के लिये आबद्ध कर सम्पन्न किया जाये।

<p>कार्य सूची सं0 24.10</p>	<p>बोर्ड द्वारा राज्य में 02 Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station स्थापित किये जाने हेतु ई-टेंडर से प्राप्त निविदाओं पर वित्तीय अनुमोदन के सम्बन्ध में।</p>	<p>बोर्ड सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि वर्तमान में Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station स्थापित करने हेतु आवश्यक व्यय एवं उससे प्राप्त उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में इसे स्थापित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। भविष्य में इसकी आवश्यकता होने पर पुनः विचार किया जायेगा। वर्तमान में बोर्ड द्वारा यथा आवश्यक Manual Monitoring Station अध्यक्ष, बोर्ड से अनुमति प्राप्त कर स्थापित किया जाय।</p>
<p>कार्य सूची सं0 24.11</p>	<p>होटल आश्रम धर्मशालाओं एवं एम0एस0एम0ई0 उद्योगों को सहमति हेतु आवेदन करने के लिए पूर्व में निर्धारित अवधि 31.03.2020 को 31.07.2020 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>बोर्ड के सदस्यों द्वारा कायोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी एवं निर्देश दिया गया कि बोर्ड द्वारा विशेष अभियान चलाकर निर्धारित अवधि तक ईकाईयों को बोर्ड की सहमति प्रक्रिया के दायरे में लाने की कार्यवाही की जाये। इसके साथ-साथ बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि अभी तक स्थापनार्थ/संचालनार्थ/प्राधिकार हेतु आवेदन नहीं किये गये होटल/चिकित्सालय/बोर्ड गठन से पूर्व स्थापित एम0एस0एम0ई0 द्वारा 31.07.2020 तक आवेदन करने की स्थिति में उनसे 31.03.2020 तक का शुल्क न लिया जाय।</p>
<p>कार्य सूची सं0 24.12</p>	<p>मा0 हरित अभिकरण के आदेश के क्रम में जिला एवं राज्य पर्यावरणीय योजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में जी0 बी0 पन्त हिमालयन पर्यावरणीय प्रबंधन संस्थान, कोसी कटारमल से प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा एवं अनुमोदन के सम्बन्ध में।</p>	<p>मा0 हरित अभिकरण के आदेश के क्रम में जिला एवं राज्य पर्यावरणीय योजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में जी0बी0पन्त हिमालयन पर्यावरणीय प्रबंधन संस्थान, कोसी कटारमल से प्राप्त प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में संस्थान के द्वारा उक्त कार्य हेतु रू0 82,60,00/- वित्तीय प्रस्ताव दिया गया था। तदोपरान्त दिनांक 03.06.2020 को विडियो काफ्रेसिंग के माध्यम से आहुत बैठक में संस्थान को सभी जिलों एवं राज्य स्तर पर कार्यशाला आयोजन किये जाने तथा सम्बन्धित जिलों से सूचनायें प्राप्त करने हेतु अधिक मानव शक्ति लिये जाने हेतु आग्रह किया गया तथा संस्थान से इस सम्बन्ध में पुनरक्षित वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु कहा गया। वर्तमान में संस्थान के द्वारा कुल रू0 1,42,55,816/- का वित्तीय</p>

		<p>प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। समयक विचारोपरान्त बैठक में निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में संस्थान से वित्तीय प्रस्ताव पर Negotiation कर प्रस्ताव पर अनुमोदन हेतु अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अधिकृत किया गया।</p>
कार्य सूची सं० 24.13	<p>कोविड-19 के कारण लागू लाकडाउन के क्रम में होटल आश्रम धर्मशालाओं/ चिकित्सालयों/ खनन पट्टों /उद्योगों जिनकी सहमति/ प्राधिकार वैधता अवधि 31.03.2020 थी को अग्रेत्तर पूर्व शर्तों के साथ 30.06.2020 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>बोर्ड के सदस्यों द्वारा उक्त पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।</p>
कार्य सूची सं० 24.14	<p>वायु प्रदूषण रोकथाम हेतु Non-attainment शहरों हेतु Emission Inventory and Source Apportionment Study कराये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>उत्तराखण्ड राज्य में वायु प्रदूषण रोकथाम हेतु Non- attainment शहरों हेतु Emission Inventory and Source Apportionment Study कराये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि Non Attainment City काशीपुर हेतु TERI के माध्यम से अध्ययन करायी जाय तथा Non Attainment City देहरादून के लिये आई0आई0टी0, रूड़की से प्रस्ताव प्राप्त कर उनके माध्यम से अध्ययन कराया जाय। उपरोक्त अध्ययन के लिये आवश्यक वित्तीय अनुमोदन हेतु अध्यक्ष, बोर्ड को अधिकृत किया गया। ऋषिकेश शहर हेतु अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रस्ताव प्राप्त करते हुए अध्यक्ष, बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।</p>
कार्य सूची सं० 24.15	<p>परिसंकटमय अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट(प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के अन्तर्गत प्रख्यापित नियम 16(2) के अन्तर्गत परिसंकटमय तथा अन्य अपशिष्टों के शोधन भण्डारण और निपटान की सुविधा (Common Hazardous and other waste treatment storage and Disposal facility) के डिजाइन व लेआउट के अनुमोदन के सम्बन्ध में।</p>	<p>विचार-विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर बोर्ड के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>

<p>कार्य सूची सं0 24.16</p>	<p>प्रदेश में संचालित नारंगी एवं हरित श्रेणी के उद्योगों की संचालन सहमति की वैधता अवधि अग्रेत्तर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>उत्तराखण्ड राज्य में संचालित नारंगी एवं हरित श्रेणी के उद्योगों की संचालन सहमति की वैधता अवधि अग्रेत्तर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव बोर्ड बैठक में सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव पर समयक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सभी श्रेणी के उद्योगों के सहमति वैधता अवधि 31.03.2021 बढ़ाया जाय तथा 10 करोड़ लागत तक के विनियोजन के उद्योगों (Mining Sector को छोड़कर) की सहमति/ प्राधिकार नवीनीकरण शुल्क माफ कर दी जाय तथा इसे अधिक परियोजना लागत उद्योगों से सहमति/प्राधिकार शुल्क यथावत लिया जाय।</p> <p>बहु वर्षिय सहमति के अन्तर्गत जिन ईकाईयों द्वारा वर्ष 2020-21 का सहमति पूर्व से लिया जा चुका है उनका वर्ष 2020-21 का सहमति शुल्क (Mining Sector के अतिरिक्त 10 करोड़ लागत तक के विनियोजन के उद्योग) आगामी वर्ष में समायोजित किया जाय।</p>
<p>कार्य सूची सं0 24.17</p>	<p>कोविड-19 संक्रमण के परिपेक्ष्य में मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड एवं मा0 वन एवं पर्यावरण मंत्री जी, उत्तराखण्ड से प्राप्त निर्देश के क्रम में बोर्ड द्वारा विभिन्न सरकारी संस्थाओं को अवमुक्त किये गये धनराशि के कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में।</p>	<p>प्रस्ताव पर बोर्ड के सदस्यों द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी एवं यह निर्देश दिया गया कि बोर्ड के पास जमा धनराशि को बोर्ड द्वारा किस-किस मद में व्यय किया जा सकेगा (बोर्ड की दिन प्रतिदिन व्यय को एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्यों के लिये आवश्यक व्यय को छोड़कर) के सम्बन्ध में आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।</p>
<p>कार्य सूची सं0 24.18</p>	<p>बोर्ड द्वारा खनन कार्य हेतु दिये जाने वाले संचालनार्थ सहमति की समयावधि व सहमति शुल्क हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करने के सम्बन्ध में।</p>	<p>बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि सुविचारित प्रस्ताव यथा प्रस्तावित संशोधनों के साथ आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।</p>

अन्त में सभी मान्य सदस्यों के धन्यवाद के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी। यह कार्यवृत्त अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है।


 (एस0 पी0 सुबुद्धि) आरंभक
 सदस्य सचिव
 19.6.2020

HEAD OFFICE

UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD
Gauradevi Parayavaran Bhawan
46-B, SIDCUL, IT Park, Sahashtradhara Road
DEHRADUN (Uttarakhand)



उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गौरादेवी पर्यावरण भवन
46-बी, सिडकुल, आई.टी. पार्क, सहस्रधारा रोड,
देहरादून(उत्तराखण्ड)


Web: www.ueppcb.uk.gov.in

यूईपीपीसीबी/एच.ओ./सा0-06(बो0बै0 24)/2020/ ११३-१७६

दिनांक 19.06.2020

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
2. श्रीमती सौजन्या, सचिव वित्त एवं निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. श्री विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव एवं निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. श्री के0के0 रसतोगी, महाप्रबन्धक, गंगा, पेयजल निगम, हरिद्वार।
5. कु0 अंकिता जोशी, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, कोटद्वार।
6. श्री लोकेश शर्मा, निदेशक, सिडकुल, आई0टी0 पार्क, देहरादून।
7. श्री सुनील परासर, अधिक्षण अभियन्ता, एम0डी0डी0ए0, देहरादून।
8. प्रो0 बी0आर0 गुर्जर, आई0आई0टी0, रुड़की।
9. श्री प्रकाश आर्य, मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, काशीपुर।
10. श्री अशोक बंसल, अध्यक्ष, कुमाऊँ गढवाल चैम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इण्डिस्ट्रज, उत्तराखण्ड।
11. श्री एस0एस0 पाल, मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशा0), यू0के0पी0सी0बी0, देहरादून।


सदस्य सचिव 19.6.2020
ग/क